

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची ;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 19.3.19

विषय :-

मॉग संख्या-50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-18-चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45 निर्माण कार्य, विपत्र कोड 50S470200796180545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

प्रसंग :-

प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या-83/ 27.01.17 एवं 78/ 18-19, दिनांक 11.03.19


महाशय,


वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-


क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) / 4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना / 18 - चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	05-निर्माण, 45 निर्माण कार्य, विपत्र कोड 50S470200796180545	98.90488

आवंटित राशि - ₹ अन्तानबे लाख नब्बे हजार चार सौ अठासी मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2018-19 के संशोधित बजट उपबंध रु. 11600.00 लाख (एक सौ सोलह करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 तथा 2747(वि.), दिनांक-19.09.16 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरण: पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत एवं परिशिष्ट 1 पर वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिषेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
- आवंटित राशि से द्रायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)



(रमेश कुमार दुबे)
विशेष सचिव


(आर०.एस०. तिगा)
अभियंता प्रमुख-2

9. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यार्पण 31 मार्च, 2019 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrendr No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-12 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त्।



(अरुण कुमार सिंह) 18.3.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— १/२

रॉची, दिनांक :— 19/3/19

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ज्ञारखण्ड पो.— हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/सिमडेगा/खूंटी सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त्।



(अरुण कुमार सिंह) 18.3.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— १/२


रॉची, दिनांक :— 19/3/19

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख—I एवं II जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अंतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, ज्ञारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुलग्नक-यथोक्त्।



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(रमेश कुमार दब्बी)
विशेष सचिव

(आर.एस. तिगा)
अभियंता प्रमुख-2


(अरुण कुमार सिंह) 18.3.19
अपर मुख्य सचिव

पत्रांक – १७
/रॅची, दिनांक – १९/३/१९
मांग संख्या-५०-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)

मुख्य शीर्ष – ४७०२ लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

लघु शीर्ष – ७९६-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना,

उपशीर्ष – १८-चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण

विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण, ४५ निर्माण कार्य, विपत्र कोड-५०८४७०२००७९६१८०५४५

संशोधित बजट उपयोग (वर्ष २०१८-१९) रु. ११६००.०० लाख (एक सौ सोलह करोड़) मात्र।

(राशि लाख में)

क्र० सं.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्थीर्यता का		मार्च २०१८ तक	विनीय वर्ष २०१८-१९ में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अनुमति				
					प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	10	11	12	13		
१							६	७	८	९						
								४२६.७२००	०.०००००		०.०००००					
१	लघु सिंचाई	सिमडेगा	जलडेगा	तिलगा नाला पर शृंखलावद्व चैक	८३/२७.०१.१७	४४६.२७८००	१६९.०५७३९	०.०००००	०.०००००	६३७.५६८३२	५३७५९					
२	प्रमंडल, सिमडेगा (SDGMR001)	सिमडेगा	जलडेगा	परवा नाला पर शृंखलावद्व चैक डैम निर्माण	२२८९/०९.०२.१७	२४७.३६५००	१७०.६७५५५	०.०००००	०.०००००							
३						१५८.८३२००	७९.९८७७		-२.६४९७६							
४						२१२.३३३००	७६.७५७८२		-१४.७८१९२							
५						१,४९१.५२८००	४९६.४६९५३	६५५.०००००	-१७.४३१६८	६३७.५६८३२						
१	लघु सिंचाई प्रमंडल, खूंटी (RNCCR001)	रौंची	बुण्ड	लोटेहातु मध्यम सिंचाई	७८/११.०३.१९ Online AA- 2335/11.03.19	१५३.७६५००	४०.३९६५०	०.०००००	११६.३३६५६	११६.३३६५६	१०२२०३	माननीय सद जाज-१, रोची द्वारा पारित चाय निषिद्ध के अनुपातन में पूँजीजनन मुआवजा का मुगातान हेतु।				
						१५३.७६५००	४०.३९६५०	०.०००००	११६.३३६५६	११६.३३६५६						
						१६४५.२९३००	५३६.८६६०३	६५५.०००००	९८.९०४८८	७५३.९०४८८						
						कुल योग										
						आवंटित राशि	- ₹ अन्तानबे लाख नब्बे हजार चार सौ अठासी मात्र।									

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अमिं.)

(रमेश कुमार दुर्वेश)
विशेष सचिव

(आर.एस. तिगा)
अधियंता प्रमुख-२

(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव
१८.३.१९